

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]**

Notification

New Delhi, the 1st day of April, 2015

INCOME-TAX

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (9) and(9A) of section 92CC read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1). These rules may be called the Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 2015.
(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the principal rules), in rule 10MA, in sub-rule (5), for the first proviso and the second proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

MS *Pelle* ✓ "Provided that in a case where an application has been filed on or before the 31st day of March, 2015, Form No. 3CEDA along with proof of payment of additional fee may be filed at any time on or before the 30th day of June, 2015 or the date of entering into the agreement whichever is earlier:

Provided further that in a case where an agreement has been entered into on or before the 31st day of March, 2015, Form No. 3CEDA along with proof of payment of additional fee may be filed at any time on or before the 30th day of June, 2015 and, notwithstanding anything contained in rule 10Q, the agreement may be revised to provide for rollback provision in the said agreement in accordance with this rule."

[Notification No. 33/2015/ F.No.142 /14/2014-TPL]


(Amit Katoch)
1/4/15
Under Secretary (Tax Policy and Legislation-I)

Note. - The principal rules were published vide notification number S.O.969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (Third Amendment) Rules, 2015 vide notification number S.O. (E), dated 14-03-2015.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 अप्रैल, 2015

आय-कर


का.आ. (अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92गग की उपधारा (9) और उपधारा (9क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2015 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 10डक के उपनियम (5) के पहले और दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

परंतु किसी दशा में, जहां आवेदन 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व किया गया है, प्ररूप सं. 3गडघक को 30 जून, 2015 को या उससे पूर्व या करार में प्रवेश की तारीख, जो भी पूर्वत्तर हो, को अतिरिक्त फीस के संदाय के सबूत के साथ फाइल कर सकेगा :

परंतु यह और कि उस दशा में नियम 10थ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां करार 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व किया गया है, प्ररूप सं. 3गडघक को 30 जून, 2015 को या उससे पूर्व किसी समय अतिरिक्त फीस के संदाय के सबूत के साथ फाइल कर सकेगा और इस नियम के अनुसरण में उक्त करार के रोलबैक उपबंध के लिए करार को पुनरीक्षित कर सकेगा ।";

{अधिसूचना संख्या. 33/2015/फा.सं. 142/14/2014-टीपीएल}


(अमित कटोच)

अवर सचिव (कर नीति और विधान-1)

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ.-969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ 758 (अ) तारीख 14-03-2015 द्वारा आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2015 द्वारा उनमें संशोधन किया गया ।